निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।
औषधि आपूर्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र की शर्तें

❖ निविदादाताओं हेतु निर्देशः–

1. होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रदेश में स्थापित होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये औषधि क्रय हेतु रू0 1,00,00,000/– जो घट या बढ़ सकती है, की औषधि आपूर्ति के लिए आयकर, जी0एस0टी0/व्यापार कर विभाग में पंजीकृत, सी0जी0एच0एस0/जी0एम0पी0 द्वारा प्रमाणित) अनुभवी एवं प्रतिष्ठित फर्मो Company /Joint venture/ consortium हेतु टू–बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड सरकार की e-government procurement system के पोर्टल https://www.uktenders.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू. में)	धरोहर धनराशि (2%)	जमानत धनराशि (10%)	निविदा का मूल्य जी.एस.टी. सहित
01	होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये औषधियों का क्रय	1,00,00,000	2,00,000	10,00,000	4720

धरोहर राशि, निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जो निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड के नाम निर्गत/देय हो की हार्ड कॉपी दिनांक 23.06.2025 सांय 5:00 बजे तक निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0 गुजराड़ा, देहरादून को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात निर्गत ड्राफ्ट वाले निविदा आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. निविदा, निविदा प्रपत्र पर online submit की जायेंगी। इस प्रक्रिया के लिए निविदादाता का उक्त बैबसाईट पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। निविदादाता अपने डिजीटल हस्ताक्षर किसी भी अधीकृत certifying authority से issue करा सकता है।
3. निविदादाता को निविदा में दर्शाइ गई सम्पूर्ण मात्रा के अनुसार औषधि आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिये।
4. तकनीकी निविदा में सफल/अर्ह पाये जाने वाले निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

KMathpal

5. निविदा की दरें अनुमोदित होने के पश्चात अनुमोदित दरों के आधार पर निविदादाता को विभाग द्वारा पृथक से क्रय आदेश जारी किया जायेगा, जिसका क्रियान्वयन निविदादाता की बाध्यता होगी।
6. निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करने तथा जमा करने का शुल्क रू0 4720.00 (रू0 चार हजार सात सौ बीस मात्र) होगा, जो निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा। जो दिनांक 23.06.2025 सांय 5:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि निविदा वैबसाईट, ई–टेन्डर प्रक्रिया तथा अपलोड करने सम्बन्धी सभी प्रपत्रों के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त कर लें। उक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये निदेशालय के दूरभाष संख्या–0135–2984041 से सम्पर्क किया जा सकता है।
8. निविदादाता को अपनी encrypted bids डिजिटल हस्ताक्षर सहित Tender time schedule (key dates) के अनुसार जमा करना होगा। जिन निविदादाताओं की निविदा नियत समय पर अपलोड होगी, सिस्टम उन्हीं को स्वीकार करेगा।
9. तकनीकी निविदा सम्बन्धित दस्तावेजों की मूल प्रति निदेशालय में दिनांक 23.06.2025 सांय 5:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।
11. उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग संख्या–261 / VII-2-14/143–उद्योग / 2003, दिनांक 19 मार्च, 2014 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–126 / XX VII(7)32/2007TC/2019, दिनांक 12 जुलाई, 2019 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जिन्होंने राज्य के उद्योग निदेशालय / जिला अद्योग केन्द्रों में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम 2006 (MSMED Act-2006) के अन्तर्गत "सूक्ष्म तथा लद्यु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (E.M. part-II) तथा उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1542 / VII-3-19/143–उद्योग / 2003, दिनांक 20 अगस्त, 2019 के क्रम में अभिस्वीकृति प्राप्त की हो तथा शासकीय सामग्री क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय में पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया हो, को उक्त शासनादेशानुसार क्रय में वरियता प्रदान की जायेगी।

Key Date:-

विवरण	तिथि	समय
निविदा ऑनलाइन प्रसारित होने की तिथि (Date of online publications)	05-06-2025	सांय 04:30 बजे
दस्तावेज डाउनलोड प्रारम्भ की तिथि (Document download start date)	05-06-2025	सांय 05:00 बजे
निविदा जमा की प्रारम्भ तिथि (Bid Submission Start Date)	06-06-2025	प्रातः 10:00 बजे

KMathpal

निविदा जमा की अन्तिम तिथि (Bid Submission End Date)	21.06.2025	सांय 5:00 बजे
आवेदन/निविदा की हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि	23.06.2025	सांय 5:00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि (Technical Bid Opening Date)	24.06.2025	दोपहर 3:00 बजे

❖ निविदा की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. निविदा की दरें दिनांक 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिये औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत की जायें।
2. टेण्डर की दरें प्रस्तुत करने के लिये प्रत्येक श्रेणी की प्रत्येक वस्तु के लिये अलग–अलग दरें अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। उन्हें एक दूसरे में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। निविदादाता की जितनी दरें स्वीकृत की जायेंगी वह विभाग की मांग के अनुरूप उसी दरों पर आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगा।
3. सशर्त, अपूर्ण, अहस्ताक्षरित, निर्दिष्ट शर्तों के विपरीत एवं निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. प्रत्येक निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ एवं इसके साथ दी गई शर्तों, निर्देश एवं प्रतिबन्ध को हस्ताक्षरित करेगा और अपना/अपनी फर्म का नाम व पता स्पष्ट रूप से अंकित करेगा। यदि निविदादाता फर्म/कम्पनी है तो फर्म/कम्पनी के गठन से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।

❖ Earnest Money Deposit (E.M.D.)/(निविदा प्रतिभूति)

5. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) निविदा मूल्य के 2 प्रतिशत के रूप में यथानिर्दिष्ट धनराशि का भारत के किसी शैडयूल बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0/सी0डी0 आर0/डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/राष्ट्रीय बचत पत्र जो निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड के नाम निविदा की अंतिम वैद्य अवधि के पश्चात 45 दिवस तक बन्धक होगी, जिसको बढ़ाया जा सकता है, की स्कैन्ड प्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
6. ई0एम0डी0 तकनीकी निविदा खुलने से पूर्व कार्यालय में मूल रूप से जमा करना अनिवार्य है।
7. यदि निविदादाता निविदा प्रपत्रों को ऑनलाईन जमा करने के पश्चात निविदा प्रक्रिया को छोड़ता है या निविदा की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

08. निविदादाता को अपनी दरें अनिवार्य रूप से अंकों व शब्दों में प्रति इकाई साफ–साफ उल्लिखित करनी होगी। फोर कटिंग मान्य नहीं होगी। अंकों व शब्दों की धनराशि में यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो न्यूनतम राशि को उल्लिखित दर के रूप में

KMaurya

मान्य किया जायेगा।

09. निविदा के साथ रू0 100.00 मूल्य के स्टाम्प पर रू0 1.00 का राजस्व टिकट लगाकर निविदा दरों की वैधता के सम्बन्ध में शपथ पत्र हस्ताक्षर कर लगाना अनिवार्य होगा।

10. जिस निविदादाता की दरें स्वीकार की जायेंगी उसे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा जमानत की राशि जमा करके हस्ताक्षर करने होंगे। स्टाम्प शुल्क निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। निर्धारित शुल्क समय के अन्तर्गत जमा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

❖ Performance Security / (कार्यपूर्ति प्रतिभूति)

11. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उसे क्रय की कुल 10 प्रतिशत कार्यपूर्ति प्रतिभूति किसी एक रूप में अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के समय रखनी होगी :–
भारत के किसी शैड्यूल बैंक द्वारा जारी

- एफ0डी0आर0
- डिमान्ड ड्राफ्ट
- बैंकर्स चैक
- राष्ट्रीय बचत पत्र
- बैंक गारन्टी

जो निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड के पक्ष में देय हो एवं देहरादून स्थित किसी बैंक शाखा में भुगतान योग्य हो, जमा करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि निविदा दर अनुबन्ध वैद्यता की अंतिम तिथि के उपरान्त 03 माह तक वैध होनी चाहिये।

12. यदि निविदादाता आपूर्ति करने में अक्षम रहता है अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

13. निविदादाता सम्बन्धित विभाग को आपूर्ति किये जाने वाली औषधियों को तकनीकी निविदा के अनुसार अच्छी दशा में आपूर्ति करेगा।

14. निविदादाता द्वारा विभाग को जिन औषधियों की आपूर्ति की जायेगी उसकी गुणवत्ता का निर्णय करने का अधिकार विभागाध्यक्ष को होगा तथा इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी स्तर पर आपूर्तित औषधि की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यपूर्ति प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

K Mahipal

❖ Documentation Evidence

15. प्रत्येक निविदादाता को निम्नाकिंत दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र के साथ स्कैन कर के अपलोड करना होगा।

- निविदादाता को अपने स्टॉक की स्थिति योग्यता, क्षमता का तथ्यगत आधार प्रस्ततु करना होगा।
- पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव (यदि कोई हो तो) एवं रिकार्ड के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष को सन्तुष्ट करना होगा तथा वांछनीय प्रमाण पत्रों की प्रतियां अपने कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करनी होंगी।
- आयकर, जी0एस0टी0, सर्विस टैक्स का प्रमाण पत्र सी.एस.टी. एवं वाणिज्य कर में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- निविदादाता होम्योपैथिक औषधि का निमार्ण करता हो एवं फर्म का होम्योपैथिक औषधि निर्माण में टर्नओवर 10 करोड़ प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है। निविदादाता को विगत 03 वर्षों का टर्नओवर का सी0ए0 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- औषधि आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक पैकिंग पर औषधियों के नाम, बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख तथा समापन की तिथि एवं केवल उत्तराखण्ड राज्य के लिए शासकीय आपूर्ति हेतु, बिक्री के लिए नहीं, अंकित करना अनिवार्य होगा।
- औषधियों की पैकिंग के लिए ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं कॉस्मेटिक रूल 1945 तथा समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- धरोहर धनराशि निविदा लागत का 2 प्रतिशत।
- गत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
- निविदादाता होम्योपैथिक औषधि निर्माण की स्वयं की इकाई होनी चाहिए एवं जी.एम.पी./सी.जी.एच.एस./आई.एस.ओ. सिरीज का नवीनतम वैद्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- ब्लैक लिस्टेड न होने सम्बन्धी शपथ पत्र अपलोड करना होगा।

16. निविदा के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रचार एवं किसी प्रकार का अवांछित दबाव जिससे निविदा की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, निविदा निरस्त करने के लिये पर्याप्त होगा।

❖ Arbitration

17. इस निविदा के अन्तर्गत निविदादाता व विभिन्न विभागों के प्रमुखों के बीच भी मतभेद या विवाद, अथवा इस निविदा के अन्तर्गत सभी पक्षों के अधिकारों अथवा उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में उत्पन्न हर प्रकार के प्रकरण आवश्यक समाधान हेतु आर्बिट्रेटर को ही संदर्भित किये जा सकेंगे, जो आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड होंगें। आर्बिट्रेटर का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा। कोई भी प्रकरण संदर्भित किये जाने पर संदर्भ व अर्बिट्रेशन का मूल्य आर्बिट्रेटर के विवेकाधीन होगा जो इसकी

KMamgai

धनराशि का निर्णय करेंगे तथा यह भी निर्देशित करेंगें कि यह धनराशि किसके द्वारा किसको और किस रीति से अदा की जायेगी। यहा उपर उल्लिखित किये गये प्रकरण के सम्बन्ध में कोई भी पक्ष किसी न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। उक्त के उपरान्त भी निविदा के सम्बन्ध में यदि किसी पक्ष द्वारा वाद दायर किया जाता है तो न्यायालय क्षेत्र देहरादून होगा।

❖ Validity of Bid / निविदा की वैधता

18.वित्तीय निविदायें खोले जाने की तिथि से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिये स्वीकृति हेतु वैद्य होंगी।

19. औषधियों को विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करने पर निविदादाता दो माह के भीतर उत्तराखण्ड के समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालयों पर आपूर्ति करेगा एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में चालान / प्राप्ति रसीद 15 दिन के भीतर विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को उपलब्ध कराना होगा। आपूर्ति विलम्ब की दशा में सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। आपदा, भूस्खलन आदि प्राकृतिक दुर्घटना / विशेष प्रतिकूल कारणों से आपूर्ति विलम्ब होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र / साक्ष्य के आधार पर निदेशक, होम्योपैथी के द्वारा छूट प्रदान की जायेगी।

20. निविदादाता द्वारा औषधि की आपूर्ति उपयोग किये जाने के लिये सम्बन्धित जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय पर की जायेगी। औषधि की ढुलाई–भाड़ा निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। आपूर्ति के दौरान यदि किसी प्रकार की क्षति / हानि होती है तो, उक्त क्षति / हानि की प्रतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।

21. क्रय की जाने वाली औषधियों के क्रयादेश निदेशालय / जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

- तकनीकी निविदा में निम्न प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपिं अपलोड करनी आवश्यक है तथा निम्नानुसार उपलब्ध दस्तावेजों के अनुरूप तकनीकी निविदा का परीक्षण किया जायेगा।
- आयकर, जी0एस0टी0 व व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
- समान प्रकृति के कार्यों के टर्न ओवर, प्रमाण पत्र सी0ए0 द्वारा प्रमाणित।
- धरोहर राशि निविदा लागत की 2 प्रतिशत।
- अपेक्षित फर्म / कम्पनी के गठन से सम्बन्धित अभिलेख / रजिस्ट्रेशन की प्रति (यदि लागू हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- होम्योपैथिक औषधि निर्माण में स्वयं की इकाई होने का प्रमाण पत्र।
- जी0एम0पी0 / सी0जी0एच0एस0 द्वारा प्रदत्त वैद्य प्रमाण पत्र।
- गत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
- टर्नओवर के सम्बन्ध में सी0ए0 का विगत 03 वर्षों का प्रमाण पत्र।

हमने इस निविदा से सम्बन्धित समस्त निविदा शर्तों को भली–भांति पढ लिया है व इस तकनीकी निविदा के उपरोक्त बिन्दुओं के समर्थन में उल्लिखित सभी प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों

को संलग्न कर दिया गया है और हम इनका अनुपालन करने हेतु सहमत हैं।

❖ वित्तीय निविदाः–

वित्तीय निविदा में दरें सभी करों, Levies, duties तथा अन्य सभी प्रकार के चार्ज यथा ट्रांसपोर्टेशन, लोजिंग, बोर्डिंग, फर्म/ऐजन्सी के सभी प्रकार के व्यय आदि शामिल होंगे। Quoted Rates के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य किसी प्रकार का व्यय भार नहीं दिया जायेगा। निविदा की उपरोक्त किसी भी शर्तो में छूट/शीथिलता एवं उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त किसी एक निविदा अथवा सम्पूर्ण निविदा को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, होम्योपैथी का होगा तथा इस सम्बन्ध में निदेशक होम्योपैथी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ लिया है और मैं/हम इनका अनुपालन करने हेतु सहमत हूं/हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर।

KMatpal